

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-रा0का0-01/2012

खाद्य-पटना/दिनांक-

प्रेषक,

मोहन प्रसाद,
निदेशक,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तार के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम-2011" के तहत राशन कार्ड निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किये जाने का प्रावधान है । दिनांक 16.08.2011 से 20.08.2013 तक "बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम-2011" के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों, नियत समय-सीमा में निष्पादित आवेदन पत्र, नियत समय-सीमा के पश्चात निष्पादित आवेदन पत्र, अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्र एवं लंबित आवेदन पत्रों की विवरणी (संलग्न) से स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं एवं निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के उपरांत भी लंबित है। निर्धारित समय-सीमा में राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन नहीं किया जाना "बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम-2011" की अवधारण के विरुद्ध है । विभागीय पत्रों द्वारा कतिपय जिलों को, जहाँ बड़ी संख्या में आवेदन पत्र निष्पादित नहीं हुए हैं, शीघ्र निस्तार कर अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है ।

उल्लेखनीय है कि समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री द्वारा राशन कार्ड के इतने लंबित आवेदनों का निस्तार नहीं होने पर इसे गंभीरता से लिया गया है तथा दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधिवत् कार्रवाई करने का निदेश है ।

अतएव वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि "बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम-2011" के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत अनिष्पादित आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाय एवं विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । साथ ही प्राप्त आवेदन पत्रों एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत निष्पादित आवेदन पत्रों के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक ।

ज्ञापांक - प्र06-रा0का0-01/2012

5918

खाद्य-पटना/दिनांक-

12/9/13

प्रतिलिपि - आईटी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं प्रत्येक माह के अंत में सभी जिलों का अपडेट ऑकड़ा डाउनलोड कर उप सचिव को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

निदेशक ।

12/9/13